न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखाण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 88/2020

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. निर्मल सिंह पुत्र छिन्द्र सिंह उर्फ छिंदा सिंह जाति तरखान निवासी मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर।		1. छिन्द्र सिंह उर्फ छिंदा सिंह जाति तरखान निवासी मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर।

तारीख रजू:- 28.10.2022

उपस्थितः 1.श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता वादी
2.श्री इन्द्रजीत सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,91 आरटीए,

--निर्णय-- दिनांक : 21.11.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 63 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 77 के मुरब्बा नम्बर 67, 77, 78 की कुल 12.646 हेक्टैयर नहरी भूमि में से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 छिन्द्र सिंह के नाम 0.695 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित भूमि वादी के पिता को वादी के दादा से विरास्तन प्राप्त हुई है। इसलिए यह भूमि वादी के लिए जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है। जिसमें वादी का जन्म से ही कानूनन हक बनता है। उक्त वर्णित भूमि में वादी व वादी के दो भाई तथा वादी का पिता हिस्सेदार है। यानि वादी उक्त 0. 695 हेक्टैयर भूमि में से 1/4 हिस्सा यानि 0.1737 भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसके लिए वादी दावा ला पाने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी से कई बार कहा कि उक्त जद्दी जायदाद से वादी 1 /4 का हिस्सेदार है। इसलिए प्रतिवादी वादी को 1/4 हिस्सा भूमि देकर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज करवा देवे। पहले तो प्रतिवादी टालमटोल करता रहा परन्तु आज से करीब दस रोज पूर्व प्रतिवादी ने वादी के हिस्सा की भूमि वादी को देने से साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादी उक्त पैतृक भूमि को बेचान कर खूर्द बुर्द करने की फिराक में है। जिस पर वादी जाकर प्रतिवादी से मिला और उससे कहा कि आप मुझे मेरा हिस्सा दिए बिना पैतृक सम्पति का बेचान कर खूर्द बुर्द नहीं कर सकते है। इस भूमि में मेरा भी 1/4 हिस्सा बनता है। जिस पर प्रतिवादी ने कहा कि मै तुम्हे इस भूमि में से कुछ भी नहीं दूंगा। तुम्हे जो करना है कर लो। अगर प्रतिवादी अपने नाम दर्ज भूमि का बेचान कर देता है। तो वादी को ना पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। यही वाद कारणं है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 63 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 77 के मुरब्बा नम्बर 67, 77, 78 की कुल 12.646 हेक्टैयर नहरी भूमि में से वादी के पिता छिन्द्र सिंह के नाम दर्ज 0.695 हेक्टैयर भूमि में वादी को 1/4 हिस्सा यानि 0.1791 हेक्टैयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे। व उक्त भूमि [illegible] त की जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। [illegible] वादी [illegible] जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री इ[illegible] [illegible]ड़िंग उपस्थित आए। [illegible] प्रतिवादी का जवाबदावा सहमति का जवाबदावा पेश किया [illegible] सहमति का इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं [illegible]ए। साक्ष्यवादी में गवाह निर्म[illegible] [illegible] दस्तावेजात प्रदर्श करवाए गए [illegible] सिंह उपस्थित आया व शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। लिहाजा साक्ष्यप्रतिवादी वकील प्रतिवादी ने साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं करने बाबत निवेदन किया। लिहाजा साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.13 11:13:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77.के खाता संख्या 77/70 की प्रति, चक 63 एफ के इन्तकाल संख्या 203 दिनांक 02.08.1996 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा चक 63 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 77 के मुरब्बा नम्बर 67, 77, 78 की कुल 12.646 हेक्टैयर नहरी भूमि में से वादी के पिता छिन्द्र सिंह के नाम दर्ज 0.695 हेक्टैयर भूमि में वादी को 1/4 हिस्सा यानि 0.1791 हेक्टैयर भूमि का खातेदार घोषित करवाने बाबत निवेदन किया है। प्रतिवादी संख्या 1 का जवाबदावा सहमति का है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किए है कि वादी को उक्त भूमि में से 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अतः वाद पत्र वादी, शपथ पत्र, जवाबदावा प्रतिवादी के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88,188,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 63 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 77 के मुरब्बा नम्बर 67, 77, 78 की कुल 12.646 हेक्टैयर नहरी भूमि में से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 छिन्द्र सिंह पुत्र बन्ता सिंह के नाम दर्ज 0.695 हेक्टैयर भूमि में से वादी निर्मल सिंह पुत्र छिन्द्र सिंह को 1/4 हिस्सा यानि 0.1738 हेक्टैयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.13 11:13:14 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
निर्मल सिंह बनाम छिन्द्र सिंह आदि
धारा अन्तर्गत **88, 188, 91** आरटीए मुकदमा नं. **88/2020**
निर्णय दिनांक :- **21.11.2022**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा** व **प्रतिवादी अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88,188,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 63 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 77 के मुरब्बा नम्बर 67, 77, 78 की कुल 12.646 हेक्टैयर नहरी भूमि में से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 छिन्द्र सिंह पुत्र बन्ता सिंह के नाम दर्ज 0.695 हेक्टैयर भूमि में से वादी निर्मल सिंह पुत्र छिन्द्र सिंह को 1/4 हिस्सा यानि 0.1738 हेक्टैयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 21.11.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	02	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 21.11.2022

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्रमांक: रीडर/ 2022/582

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय को सूचित करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.13 11:13:14 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर